

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/1255

दिनांक 31/1/19

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री प्रकाश चन्द	सफाई निरीक्षक II	राजगढ(चूरु)	सरदारशहर
2	श्री सुनिल चौधरी	फायरमैन	राजगढ(चूरु)	सरदारशहर
3	श्री जितेन्द्र सिंह पोसवाल	फायरमैन	हिण्डौन सिटी	महुवा
4	श्रीमती अन्जु गुर्जर	फायरमैन	जयपुर	दासा
5	श्रीमती गोरा बाई/श्री राजकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	सांगोद	कोटा
6	श्रीमती प्रियंका पंडत	सफाई कर्मचारी	सिरौही	जालौर
7	श्री ओमप्रकाश मीना	फायरमैन	व्यावर से खेरथल स्थानान्तरणधीन (हाल निदेशालय)	दासा

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/1256-1296 दिनांक 31/1/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग,
- महापौर/अध्यक्ष/सभापति/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी/नगर निगम/ परिषद/पालिका
- संबंधित कर्मचारी.....।
- सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)